भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 100

दिनांक 22 नवम्बर, 2019 को उत्तर के लिए

अनाथ लोगों से संबंधित आंकड़े

100. श्रीमती रमा देवीः
श्रीमती रंजीता कोलीः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में अनाथ लोगों की संख्या के बारे में आंकड़े एकत्र करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं जिसके कारण उन्हें कल्याण सुविधाएं प्रदान नहीं की जा सकी हैं/नहीं की जा रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार इस संबंध में आंकड़े एकत्र करने में किसी कठिनाई का सामना कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन कठिनाइयों से पार पाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी — महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) से (ड.) : विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है ।

*****

‘अनाथ बच्चों से संबंधित आंकड़े’ विषय पर श्रीमती रमा देवी और श्रीमती रंजीता कोली द्वारा दिनांक 22 नवम्बर, 2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 100 के उत्तर के भाग (क) से (ड.) में संदर्भित विवरण

देश में अनाथ बच्चे किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे एक्ट) में यथा-वर्णित अनुसार ‘देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों’ (सीएनसीपी) की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं । अधिनियम को कार्यान्वित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है । तथापि, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों की सहायता के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित एक बाल संरक्षण सेवाएं (सीपीएस) स्कीम (पूर्ववर्ती समेकित बाल संरक्षण स्कीम) कार्यान्वित कर रहा है । इस स्कीम को कार्यान्वित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों की है ।

बाल संरक्षण सेवाएं (सीपीएस) के प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों का परिस्थितिजनक विश्लेषण करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है । इस स्कीम के तहत देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों (सीएनसीपी) (अनाथ बच्चों सहित) और कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों की संस्थागत देखभाल बाल देखरेख संस्थानों (सीसीआई) में की जाती है । यह स्कीम गैर-संस्थागत देखरेख की भी व्यवस्था करती है, जिसमें दत्तक ग्रहण, फॉस्टर केयर और प्रायोजन के लिए भी मदद की जाती है । वर्ष 2018-19 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा यथा-सूचित सीपीएस स्कीम के तहत लाभान्वित बच्चों का ब्यौरा संलग्न है ।

*****

अनुलग्नक

'अनाथ बच्चों से संबंधित आंकड़े' विषय पर श्रीमती रमा देवी और श्रीमती रंजीता कोली द्वारा दिनांक 22 नवम्बर, 2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 100 के उत्तर के भाग (क) से (ड.) में संदर्भित अनुलग्नक

'देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों' (सीएनसीपी) के लिए देश में बाल देखरेख संस्थानों तथा इन संस्थानों में वर्ष 2018-19 के दौरान रह रहे बच्चों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संस्थागत देखभाल [गृह]		खुले आश्रय गृह		विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसियां	
		सहायता प्राप्त की संख्या	लाभार्थी	सहायता प्राप्त की संख्या	लाभार्थी	सहायता प्राप्त की संख्या	लाभार्थी
1	आंध्र प्रदेश	66	2316	13	342	14	144
2	अरुणाचल प्रदेश	4	76	0	0	1	9
3	असम	37	1765	3	51	23	69
4	बिहार	26	1567	5	134	13	138
5	छत्तीसगढ़	65	2325	10	117	12	120
6	गोवा	23	1188	3	378	2	16
7	गुजरात	45	1706	0	0	12	86
8	हरियाणा	24	1403	21	614	7	47
9	हिमाचल प्रदेश	33	1227	3	38	1	11
10	जम्मू और कश्मीर	17	823	0	0	2	0
11	झारखंड	36	992	5	141	15	93
12	कर्नाटक	80	2998	40	1153	25	107
13	केरल	30	788	4	100	12	65
14	मध्य प्रदेश	67	2804	8	348	26	243
15	महाराष्ट्र	67	2605	3	86	13	136
16	मणिपुर	42	1160	14	296	7	55
17	मेघालय	44	960	3	159	3	6
18	मिजोरम	36	1195	0	0	5	50
19	नागालैंड	39	477	3	35	4	5
20	ओडिशा	96	6859	12	244	23	223
21	पंजाब	13	463	0	0	0	0
22	राजस्थान	85	2459	22	401	24	99
23	सिक्किम	12	355	3	60	4	20
24	तमिलनाडु	189	11915	12	264	20	169
25	त्रिपुरा	23	717	2	58	6	49
26	उत्तर प्रदेश	77	3162	20	500	12	120
27	उत्तराखंड	20	437	2	50	2	15
28	पश्चिम बंगाल	73	5436	49	1326	32	460
29	तेलंगाना	42	1343	0	0	11	342
30	अंडमान और निकोबार	3	101	-	0	-	0
31	चंडीगढ़	7	252	0	0	2	17

32	दादरा और नगर हवेली	-	0	-	0	-	0
33	दमन और दीव	0	0	-	0	-	0
34	लक्षद्वीप	-	0	-	0	-	0
35	दिल्ली	28	1447	13	380	3	72
36	पुद्दुचेरी	27	1043	2	42	2	16
	कुल	**1476**	**64364**	**275**	**7317**	**338**	**3002**

देश में कानून की अवहेलना करने वाले बच्चों (सीसीएल) और इन संस्थानों में वर्ष 2018-19 के दौरान रह रहे बच्चों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य	प्रेक्षण गृह	लाभार्थी	विशेष गृह	लाभार्थी	प्रेक्षण सह-विशेष गृह	लाभार्थी	सुरक्षा स्थल	लाभार्थी
1	आंध्र प्रदेश	12	78	2	10	2	199	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	1	13	0	0
3	असम	5	120	1	10	0	0	1	2
4	बिहार	12	860	1	20	0	0	0	0
5	छत्तीसगढ़	13	448	6	61	0	0	3	81
6	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0
7	गुजरात	3	31	0	0	0	0	0	0
8	हरियाणा	4	273	0	0	0	0	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	2	46	0	0	0	0	0	0
10	जम्मू और कश्मीर	5	281	2	0	0	0	0	0
11	झारखंड	10	405	1	11	0	0	0	0
12	कर्नाटक	16	60	1	21	0	0	0	0
13	केरल	9	25	2	3	0	0	1	6
14	मध्य प्रदेश	18	448	3	55	0	0	0	0
15	महाराष्ट्र	47	1705	0	0	0	0	0	0
16	मणिपुर	4	40	0	0	1	40	0	0
17	मेघालय	3	48	0	0	0	0	0	0
18	मिजोरम	8	145	2	61	0	0	0	0
19	नागालैंड	12	32	2	6	0	0	0	0
20	ओडिशा	0	0	0	0	4	298	0	0
21	पंजाब	4	137	2	52	0	0	0	0
22	राजस्थान	34	504	0	0	0	0	0	0
23	सिक्किम	3	55	0	0	0	0	0	0
24	तमिलनाडु	7	190	2	50	0	0	1	24
25	त्रिपुरा	3	7	1	0	0	0	0	0
26	उत्तर प्रदेश	29	1678	2	6	0	0	1	11
27	उत्तराखंड	9	79	2	22	0	0	2	19
28	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	18	1660	0	0
29	तेलंगाना	9	184	1	49	1	97	0	0
30	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	0
31	चंडीगढ़	1	22	0	0	0	0	0	0
32	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0
33	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0
34	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0
35	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	4	261	1	12	0	0	1	37
36	पुदुचेरी	2	3	0	0	0	0	0	0
		288	**8165**	**34**	**449**	**27**	**2307**	**10**	**180**